

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर
क्रमांक एफ1(1)(08572)/स्था/सान्याअवि/2026/ जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा- 2024 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र राजकाज रैफरेंस नम्बर 24798346 दिनांक 30.09.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप "बी" परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (अनुसूचित क्षेत्र) के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार L-11 में देय स्थिर पारिश्रमिक राशि 26500/- रु. पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)
(अनुसूचित क्षेत्र)

SNO	MERIT NO	ROLL NO	NAME	BIRTH DATE	CATEGORY	QUOTA
1.	900	1011624	GAURAV SUTHAR	14-04-1996	BC,TSP-UR	UMT-QT

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

- उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन रहेगी।
- उक्त सेवा आवंटन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (सीधी भर्ती द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) नियम 1999 के नियम 20 के अन्तर्गत किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये सेवा प्राथमिकता क्रम के अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के द्वारा आवंटित किये जाने पर नियुक्ति दी जा रही है।
- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1) वित्त/नियम /2017 दि. 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
- गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से संबंधित कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दि. 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त



सेवा नियमों के गुप 'बी' परीवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (परीवीक्षा अधिकारी) के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।

7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधधीन है।
8. उक्त अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुये इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण-पत्र/पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होती है एवं उस प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार निर्णय लिया जाना है।
13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनकी नियुक्ति चरित्र/पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/ संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की



अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दि. 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् 02 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

15. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
16. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र आवश्यक होगा।
17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होंगे।
18. 1. नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं उक्त नियुक्ति के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
5. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में self declaration अथवा शपथ पत्र।
6. वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।
7. गुटखे एवं धूम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।
19. उपरोक्त दस्तावेजों के साथ निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी-3/1 रेजीडेन्सियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, सिविल लाईन्स, जयपुर में दिनांक 07.10.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
20. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
21. उक्त सेवा आवंटन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9227/25, 6956/26, 6021/26, 8011/26, 6600/26, 6381/26, 6454/26, 4054/25, 7925/26, 9386/26 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।
22. उक्त नियुक्ति के संबंध में अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण में कोई जानकारी/समस्या के लिए सम्पर्क हेतु श्री अमित शर्मा, उपनिदेशक (कार्यालय प्रशासन) मो.नं. 7014918112 श्री संजय वर्मा, (संस्थापन अधिकारी) मो.नं. 9529067167 मुख्यावास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
24810280



Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-01
11:56:34 IST

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम रीपा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर को पत्र दिनांक 30.09.2026 के क्रम में सूचनार्थ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
9. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी. मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित श्री/श्रीमती/सुश्री को पालनार्थ।
12. व्यक्तिगत पत्रावली।
13. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



चैक लिस्ट

नाम.....

रोल नं.....

1.	राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र	☐
2.	पहचान पत्र (आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स)	☐
3.	आचरण प्रमाण पत्र	☐
4.	नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को " self declaration " अथवा शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न)	☐
5.	विवाहित/अविवाहित संबंधित प्रमाण पत्र	☐
6.	जन्मतिथि सत्यापन हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र	☐
7.	मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज अनुसार) फोटो प्रति मय सत्यप्रति	☐
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/टीएडी/सहरिया/ईडब्ल्यूएस का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र	☐
9.	मूल समस्त आरक्षण संबंधित दस्तावेज (यथा एक्स सर्विस मैन्, तलाक प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र)	☐
10.	टी.ए.डी. क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया (टी.एस.पी.) निवास प्रमाण पत्र	☐
11.	मूल निवास प्रमाण पत्र	☐
12.	जीवित संतान/सन्तानों की सूचना (प्रारूप संलग्न)	☐
13.	निशक्तता का प्रमाण पत्र	☐
14.	सेवारत होने संबंधी प्रमाण पत्र	☐
15.	अन्य कोई (यथा खेल प्रमाण पत्र)	☐
16.	Attestation Form यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया हो तो	☐
17.	पिता का आय प्रमाण पत्र	☐
18.	शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधी) प्रमाण पत्र	☐
19.	स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र	☐
20.	चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र	☐

नोट:-

1. अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज मूल एवं एक छाया प्रति, स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके उपलब्ध करानी होगी।
2. अधिक जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या 0141-2220194 पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

रोल नम्बर.....

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा- 2024 में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की
पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की रिपोर्ट का प्रारूप

आवेदन क्रमांक	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पूर्ण स्थायी पता	गृह जिला	लिंग	चयनित श्रेणी	जांच का निष्कर्ष पात्र/अपात्र/ अनुपस्थित/प्रोविजनल पात्र	विशेष विवरण अपात्र/प्रोविजनल पात्र पाये जाने की स्थिति में अपात्रता के कारण का विवरण दें

नोट:-

- अपात्रता दस्तावेज सत्यापन में कमी पाये जाने पर आपत्रता के कारण या कमी का विवरण अभ्यर्थी के नाम के आगे स्पष्ट रूप से अंकित करें।

हस्ताक्षर
नाम मय पद

हस्ताक्षर
नाम मय पद

हस्ताक्षर
नाम मय पद

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी
.....को मैं
व्यक्तिगत रूप से माह/वर्षों से जानता/जानती हूँ तथा जहाँ तक मेरी जानकारी है
इनका नैतिक चरित्र उत्तम है।

दिनांक हस्ताक्षर

(कार्यालय की मुहर सहित)

सामान्य घोषणा पत्र
(50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.. रोल नं. एवं आवेदन क्रमांक..... है।**भर्ती का नाम....** के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

मैं शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ : -

1. कि मैं राजस्थान में**भर्ती का नाम....** के पद हेतु अपेक्षित तथा उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है।
2. कि मेरे द्वारा योग्यता/अर्हता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के अनुरूप है।
3. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही है एवं मिथ्या/जाली/नकली/गलत तरीके से तैयार करा कर प्रस्तुत नहीं किये गये है।
4. कि मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी थानाक्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लंबित है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लम्बित है।
5. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar)किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

नाम

पता.....

.....

मोबाईल नं.....

ईमेल

संतान संबंधी घोषणा पत्र
सामान्य कागज पर

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)(कार्मिक)क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... रोल नं. है।भर्ती का नाम..... के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्याथी।

क्र.सं.	नम	जन्मतिथि

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

3. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्याहै।

क्र.सं.	नम	जन्मतिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद :

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक व मोहर के

रू. 50/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

.....निवासी.....

..... शपथ पूर्वक

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नामभर्ती का नाम.... के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पत्नी और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगा/करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है।

(F.4(2)Karmik/A-III/76 dated 05.01.77)

(नाम-.....

)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रू. 50 /— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी.....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम

.....भर्ती का नाम.... मैं पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ है। विवाह के समय मेरे घरवालों ने ना तो दहेज लिया है / ना ही दहेज दिया। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

अभ्यर्थी के पिता :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

अभ्यर्थी के श्वसुर :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

अभ्यर्थी की पत्नी /पति :स्वतंत्र साक्षी :

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रू. 50 /— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

**विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र**

मैं पत्नी/पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नामभर्ती का नाम...

. मैं पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह दिनांक को श्री के साथ संपन्न हुआ था, परन्तु मेरे पति का देहान्त दिनांक को हो चुका है (पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न)। भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पति और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है।

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नामभर्ती का नाम....

में पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है और भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पति और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है।

(F.4(2)Karmik/A-III/76 dated 05.01.77 यथा संशोधित)

(नाम—.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर

नाम

नाम

पता

पता

रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवाह प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी(जिनका विवाह 22.05.2006 से पूर्व हुआ हो) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी ...
..... शपथ पूर्वक बयान करता
हूँ / करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
..... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य
विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
..... के साथ दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण
पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती)

या

मैं तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र सलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक को
संपन्न हुआ था।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
शपथ कर्ता

(P.7(3)Karmik/K-II/2006 dated 30.06.2006 यथा संशोधित)

वचनबंध प्रपत्र
(सामान्य कागज पर)

मैं पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती
..... निवासी
.....
.....

वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ / करती हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

नाम—

स्थान:—

दिनांक:—

संविधान संबंधी प्रतिज्ञा

शपथ पत्र

(सामान्य कागज पर)

मैंपुत्र / पुत्री श्री
रोल नं.है,भर्ती का नाम.... मैं पद..... पर **अनन्तिम** (Purely Provisional)
हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ –

मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता
और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी
और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करे)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:—

दिनांक:—.....

नमुना हस्ताक्षर प्रारूप (सामान्य कागज पर)

अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आएंगे।

अभ्यर्थी का नाम :

रोल नंबर :

दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या :

....**भर्ती का नाम**.... मैं पद पर हुई भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ/हुई हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गए वाक्य मेरे द्वारा अपनी हस्तलिपि में स्वयं लिख कर प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किये जाने हेतु मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है—

हिन्दी प्रारूप (हस्तलिपि में)

मैं(अभ्यर्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री

(अभ्यर्थी के पिता का नाम) रोल नंबर आवेदन क्रमांक शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं (विज्ञप्ति अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम)..... भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी यहां से हिंदी में लिखे

(हस्ताक्षर)

English Performa (In Handwriting)

I (name of candidate) S/o/D/o Shri (father's name of candidate) Roll Number..... Application No..... hereby swear and declare that I fulfil all the eligibility criteria prescribed for recruitment (Name of Recruitment as per advertisement)

Write in English from here

(Signature)

(गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र)

विकल्प-पत्र

(सामान्य कागज पर)

मैं.....पुत्र/पुत्री.....

रोल नम्बर..... है। मेरा अंतरिम चयनभर्ती का नाम.... _मे गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र दोनों सूचियों में हुआ है।

अतः मैं अनन्तिम (Purely Provisional)रूप से

(गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में से कोई एक)में चयन हेतु विकल्प-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम:-

पता:-

मोबाइल नम्बर

विधवा/परित्यक्ता अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में फोटोयुक्त
स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र
सामान्य कागज पर

अभ्यर्थिया की
फोटो

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नामभर्ती का नाम.... में
पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं हुआ है तथा भविष्य में विवाह होने पर एक माह में विभाग को अवगत करवा दूंगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

(भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में) (नोटेरी से प्रमाणित)
(नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प 10/- रुपये)

मैं<अभ्यर्थी का नाम>..... पुत्र/ पुत्री श्री<अभ्यर्थी के पिता का नाम>..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती<भर्ती का नाम>..... में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।
2. उक्त भर्ती में मेरे रोल नंबर<अभ्यर्थी का रोलनम्बर>..... तथा आवेदन क्रमांक<अभ्यर्थी का भर्ती का आवेदन क्रमांक>..... है।
3. पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये सभी मूल दस्तावेज वैध एवं विधि मान्य है एवं कूटरचित (forged) नहीं है। मेरे द्वारा कोई तथ्य व दस्तावेज छुपाया नहीं गया है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित (forged) पाया जाता है तो बोर्ड को मेरी अभ्यर्थिता रद्द करने का एवं विधिवत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए सहमति प्रदत्त करता/करती हूँ।

(हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ की मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं व कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है। यदि इनमें कोई तथ्य या दस्तावेज मिथ्या/भ्रामक पाये जाते हैं तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

शपथ पत्र

मैंपुत्री/पुत्र श्री.....स्थान.....जाति.....
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

01. मैं.....जाति से हूँ तथा मेरी यह जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)(जो भी लागू हो, उसका उल्लेख करें) से संबंधित है।

02. मैं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर /अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता/आती हूँ।

03. मेरा पुराना जाति प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक को जारी हुआ है।

04. मैं दिनांकतक अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता/आती हूँ।

हस्ता० शपथकर्ता

सत्यापन

मैं..... शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वह सही एवं सत्य है। शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी/सूचनाएं सही है तथा यदि कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी एवं मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ता० शपथकर्ता